# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—60 / 2017 (2017 / 00172) वाद पत्र

**अनवान**

1. मोहन पिता हीरा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देउ बेवा हीरा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. देवा पिता भज्जा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हरलाल पिता भज्जा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**वादीगण**

**बनाम**

1. अमरा पिता माना गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जयराम पिता माना गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

## वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. जाकिर हुसैन — वादी अधिवक्ता
2. सुनिल जैन — प्रतिवादी अधिवक्ता

## निर्णय

दिनांकः—23.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मासिंगपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर की बैरून हल्का आबादी में वादीगण के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 382 रकबा 0.23 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ पेश किया है। वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित कृषि आराजियात वादीगण के स्वामित्व की है परंतु प्रतिवादीगण आए दिन वादीगण की भूमि पर नाजायज दखलंदाजी करते रहते हैं। दिनांक 30.7.2016 को प्रतिवादीगण ने वादीगण की आराजीयात की थोहर की बाड़ को गिरा दिया तथा वादीगण की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमाना शुरू कर दिया इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को ओलंबा दिया व वादीगण की भूमि पर कब्जा नहीं करने की बात कही तो प्रतिवादीगण ने कहा कि ये जमीन हमारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा करने पर वादीगण ने अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी का आदेश कराया जिसके निर्णय की पालना में वादीगण की उक्त भूमि की दिनांक 14.02.2017 को पत्थरगढ़ी की जाकर मौका पर्चा तैयार किया गया जिसमे प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर 0.05 हेक्ट. पर अवैध कब्जा पाया गया। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाए जाने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि से अवैध कब्जा हटाने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गए जिससे प्रतिवादीगण के विरुद्ध बेदखली की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हो गया है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण आए दिन दखलंदाजी करते रहते है वादीगण की फसल को नुकसान पहुंचाते रहते हैं व वादीगण की भूमि पर अवैध रूप से पक्का निर्माण करने पर आमादा हो रहे है। जिससे प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वय करें न किसी अन्य से करावें तथा वादीगण की भूमि पर अवैध जबरन ताकत के बल पर पक्का निर्माण नहीं करें। अतः वादीगण

की सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की बेदखली की डिक्री जारी फरमाई जावे कि ग्राम मासिंगपुरा की आराजी संख्या 382 रकबा 0.23 है0 मे से प्रतिवादीगण के 0.05 है0 से अवैध कबजा हटाया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जावे। साथ ही बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी संख्या 382 रकबा 0.23 है0 भूमि में किसी प्रकार की दंखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे व वादीगण की भूमि पर पक्का निर्माण नही करे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 फौरमल पक्षकार है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अपने जवाब में अंकन किया कि प्रतिवादी सं. एक व दो मौके पर जिस स्थान पर काबिज है वह स्थान उनके पूर्वजों के समय से यानि करीब 150 वर्षो से आधिपत्य में है। प्रतिवादी सं. एक व दो ने दिनांक 30.07.2016 को वादीगण की तथाकथित आराजी के थोहरों की बाड़ नहीं गिराया और न ही भूमि पर कब्जा जमाना ही शुरू किया। वादीगण ने उक्त कलम में सारे तथ्य मिथ्या व मनगढ़त अंकित किये है वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी सं. एक व दो मौके पर जिस स्थान पर काबिज है उसके चारों तरफ काफी वर्षो पुराने थोहरों की बाड लगी हुई है और उसके पश्चिम में मासिंगपुरा से ठिकरिया जाने वाला कच्चा रास्ता काफी वर्षो पुराना बना हुआ है। वादीगण का इस रास्ते के बारे में यह कहना है कि यह रास्ता हाल नक्शे में उक्त स्थान पर अंकित नहीं है जिससे रास्ते का भूभाग व आपका आधा स्थान मेरे द्वारा करवाई गई पत्थरगड़ी की सीमा में आने से मेरा है जिसको में लेकर रहूँगा। यहां यह भी निवेदन है कि वादीगण की आराजी का हाल नक्शा ट्रेश भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने साबिक नक्शा ट्रेश के अनुरूप नहीं बनाया है और इसी वजह से वादीगण ने हाल नक्शा ट्रेश को आधार बना अपने नही पत्थरगढ़ी करवा, मिथ्या व गलत तथ्यों के आधार पर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिससे वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी नहीं है। मौका पर्चा पत्थरगढी दिनांक 14.02.2017 का यदि अवलोकन किया जाये तो उक्त मौके पर्चे में प्रतिवादी सं. एक व दो का कितने–कितने रकबे व किस–किस स्थान व किस–किस प्रकार का आधिपत्य मौके पर है इस बाबत तनिक भी अंकन उक्त मौके पर्चे में नहीं है जिससे वादीगण द्वारा उक्त कलम में यह अंकित किया जाना कि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर 0.05 है0 पर अवैध कब्जा पाया गया साबित नहीं है। इसके अलावा उक्त मौके पर्चे में छोगा पिता कुशाल गुर्जर का आंशिक भाग पर कब्जा पाया गया ऐसा अंकन भू–अभिलेख निरीक्षक मोखुन्दा द्वारा किया गया लेकिन यह कहीं अंकित नहीं किया गया इसके अतिरिक्त वादीगण ने उक्त प्रकरण में छोगा पिता कुशाल गुर्जर को पक्षकार नहीं बनाया जिससे वादीगण का यह वादपत्र कानूनन अपूर्ण होने से प्रथमदृष्टया ही काबिल खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी सं. एक व दो का मौके पर आधिपत्य अधिकार है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. एक व दो को वादग्रस्त भूमि पर से कब्जा हटाने बाबत् किस दिनांक को कहा और प्रतिवादी सं. एक व दो द्वारा किस दिनांक को इन्कार किया गया ऐसा कोई कथन वादीगण ने उक्त कलम में नहीं किया है जिससे वादीगण को कोई वाद हेतुक प्रतिवादी सं. एक व दो के

विरुद्ध उत्पन्न नहीं होता है। अतः बेदखली की डिक्री कानूनन जारी नहीं की जा सकती है। वादीगण एक तरफ तो प्रतिवादीगण का आधिपत्य होना अपने वाद पत्र में अंकित कर रहें है और दूसरी तरफ उक्त कलम में वादीगण द्वारा यह कथन किया जा रहा है कि प्रतिवादीगण आये दिन दखलदांजी व वादीगण की फसल को नुकसान पहुँचाने का कृत्य कर रहें है उक्त दोनों कथन एक दूसरे के विपरीत है। वादीगण द्वारा उक्त कलम में इस प्रकार से कथन किया जाना यह दर्शित करता है कि वादीगण द्वारा गलत तथ्यों को समाविष्ट करते हुए यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिससे वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

**वाद और प्रतिवाद के आधार पर तनकियात कायम की गई।**

1. आया ग्राम मासिंगपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा की आराजी संख्या 382 रकबा 0.23 है0 भूमि वादी की खातेदारी भूमि है जिस पर 0.05 है0 पर प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा कर लिया जिससे वादी कब्जेयापी की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। जिम्मे वादी

2. आया वादी अपनी खातेदारी कृषि आराजी संख्या 382 रकबा 0.23 है0 पर प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज दंखलदांजी करने से स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। जिम्मे वादी

3. आया वादग्रस्त आराजी संख्या 382 रकबा 0.23 है0 पर प्रतिवादीगण का कितना–कितना रकबा पर कब्जा होने का अंकन वादपत्र में नही होने से वादी का वाद खारीज होने योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

4. अनुतोष ?

**प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।**

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम मासिगपुरा में वादीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण आये दिन परेशान करते है। और बाड़ को काट दी जिस पर वादी के द्वारा दिनांक 14.02.2017 को पत्थरगढ़ी कराने पर प्रतिवादीगण का 0.05 है0 पर कब्जा पाया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जो जवाब पेश किया गया है उसमे लिखा है कि कब्जा कितने रबके पर है स्पष्ट अंकन नही किया जबकी वादपत्र के कॉलम संख्या 3 में 0.05 है0 भूमि पर कब्जा होना अकिंत किया है। वादी के द्वारा प्रकरण में साक्ष्य करायी गई। वादी से जिरह की गई है जिससे 7–8 वर्ष से कब्जा करना प्रमाणित है। नक्शे में फर्क होना प्रतिवादी द्वारा जवाब में अकिंत किया है किन्तु क्या फर्क यह कही स्पष्ट नही है। वैसे साधारण रूप से देखा जाए तो साबिक नक्शे एवं नवीन नक्शे में दर्ज आराजी नम्बर और पैमाने में फर्क होता है प्रतिवादी किस तरह से फर्क होना मान रहा है जो स्पष्ट नही है। जमाबन्दी नक्शा ट्रेस पर्चा मौका पेश किया। प्रतिवादीगण किस आधार पर बैठे है कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है। वादी द्वारा अपने जिम्मे की तनकियो को प्रमाणित कराया है। अतः वाद स्वीकार करना फरमावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण जिस भू भाग पर प्रतिवादगण का कब्जा बता रहा है जो रास्ते की भूमि है। प्रतिवादी का वादी की भूमि पर कोई कब्जा नही है जिस पर्चे मौके के आधार पर वादी ने वाद पेश किया है वो पर्चे मौके से प्रमाणित नही है। किस दिशा की तरफ कितने भु भाग पर कब्जा है वो स्पष्ट नही है। वाद कयास के आधार पर पेश किया गया है। नक्शे में फर्क होना वादी स्वयं ने स्वीकार किया है। वाद में जो तथ्य वादी द्वारा स्वीकार किया है उसको प्रतिवादी द्वारा प्रमाणित कराने की आवश्यकता नही है।

सारा तथ्य जिरह में स्पष्ट है। नक्शे में फर्क है। वादीगण का वाद विरोधाभाषी है प्रतिवादी का अपने पूर्वजो के समय से ही यानि 150 वर्षो से आधिपत्य है जिससे वादी का यह वाद अवधि बाहर होकर काबिल खरीज होने योग्य है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, वाद, प्रतिवाद, बयान आदि का अवलोकन करने पर तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

**1. आया ग्राम मासिंगपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा की आराजी संख्या 382 रकबा 0.23 है0 भूमि वादी की खातेदारी भूमि है जिस पर 0.05 है0 पर प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा कर लिया जिससे वादी कब्जेयापी की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।**

**जिम्मे वादी**

इस तनकी को साबित कराने भार वादी पर था। वादी के द्वारा इस तनकी के समर्थन में वादी के द्वारा जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 की खाता संख्या 251 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 1 है। नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया जो प्रदर्श 2 है। पर्चा मौका प्रस्तुत किया जो प्रदर्श 3 है प्रतिवादी के द्वारा अपने जवाब में कथन किया की प्रतिवादी का कब्जा वादी की भूमि नहीं है। जबकि प्रदर्श 3 मौका पर्चा दिनांक 14.02.2017 का अवलोकन किया जिसमें आराजी नम्बर 382 प्रतिवादी 1 व 2 का आंशिक भाग पर दक्षिण दिशा में कब्जा पाया गया है। उत्तरी पश्चिमी दिशा में आंशिक भाग पर छोगा पिता कुशाल गुर्जर का कब्जा पाया गया। वादीगण की भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा होना प्रतिवादी की जानकारी में नही है। कब्जे के सम्बन्ध में प्रतिवादी के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किये गये जिससे यह साबित होता है कि प्रतिवादी का कब्जा वादी की भूमि पर वैध है। वादी द्वारा इस तनकी को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित कराया गया है जिससें इस तनकी का निर्णय बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी किया जाता है।

**2. आया वादी अपनी खातेदारी कृषि आराजी संख्या 382 रकबा 0.23 है0 पर प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज दंखलदांजी करने से स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। जिम्मे वादी**

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी द्वारा इस तनकी के समर्थन में प्रदर्श 3 पर्चा मौका प्रस्तुत किया जिसमे यह अकिंत किया गया कि प्रतिवादी का वादी की आराजियात के आंशिक भाग पर कब्जा पाया गया। प्रतिवादी का कब्जा वादी की खातेदारी आराजी पर होना मौके पर्चा में अंकित किया हुआ है। प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित होता हो कि प्रतिवादी अमुख दस्तावेज के आधार पर काबिज है। प्रतिवादी के द्वारा अपने बयान में भी स्वीकार किया कि मेरा व जयराम का कब्जा वादीगण की भूमि पर है नक्शा गड़बड़ होने पर वादीगण की जमीन मेरे कब्जे में आ रही है। मेरे द्वारा नक्शे की सही कराने का कोई वाद प्रस्तुत नही किया है। अमरा के द्वारा वादीगण की 0.03 है0 भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया गया। उपरोक्त विवरण के आधार पर वादी इस तनकी को साबित कराने में सफल रहा है जिससे इस तनकी का निर्णय बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी किया जाता है।

**3. आया वादग्रस्त आराजी संख्या 382 रकबा 0.23 है0 पर प्रतिवादीगण का कितना रकबा पर कब्जा होने का अंकन वादपत्र में नही होने से वादी का वाद खारीज होने योग्य है।**

**जिम्मे प्रतिवादीगण**

इस तनकी को साबित कराने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी के समर्थन में प्रदर्श 3 जो पर्चा मौका है जिस पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया

गया। पर्चे मौके में प्रतिवादीगणो का दक्षिण दिशा में आंशिक भाग पर कब्जा होना अकिंत है। वादीगण द्वारा 0.05 है0 भूमि पर प्रतिवादीगणो का कब्जा होने का वाद पेश किया गया है। प्रतिवादीगण स्वयं अमरा एवं जयराम के द्वारा वादीगण की भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया मौके पर मकान नही होकर बाड़ा बना हुआ होना स्वीकार किया और बाड़े के थोहर लगी हुई है। जयराम के द्वारा अपने बयान में कहा कि मेरा बाड़े की भूमि पर कब्जा है रकबा कितना है मुझे जानकारी नही है और यह भी कहा कि यह सही है कि मेरे पास जो बाड़ा है उसके स्वामित्न सम्बन्धि कोई जमाबन्दी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। और मुख्य परीक्षा में जो नक्शा गलत होने का अंकन किया है उसको दुरस्त कराने का कोई दावा पेश नही किया गया। उपरोक्त प्रतिवादगणो के बयानो से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगणो का कब्जा है केवल मात्र भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा संधारित पर्चे मौके में रकबे का स्पष्ट अंकन नही होने से इसका लाभ प्रतिवादी नही ले सकते है जबकि प्रतिवादीगण स्वयं अपने बयानो में वादीगण की भूमि पर बाड़े के रूप में अपना कब्जा बता रहे है। उक्त विवरण के अनुसार प्रतिवादीगण इस तनकी को प्रमाणित कराने में असफल रहे है जिससे इस तनकी का निर्णय बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी किया जाता है।

**4. अनुतोष ?**

उपरोक्त तनकीवार निर्णय अनुसार मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा कि वादीगण की खातेदारी आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का अनाधिकृत कब्जा होना स्वयं प्रतिवादीगणो के बयान में स्वीकार किया गया तथा कब्जे सम्बन्धी ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादी का वैध हो ? ऐसी स्थिति वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम माहसिंगपुरा की आराजी संख्या 382 रकबा 0.23 है0 भूमि के दक्षिण दिशा में अमरा पिता माना व जयराम पिता माना का जो कब्जा इस आराजी की सीमा मे है जिससे प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे। इसी के साथ बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण, वादीगण की उक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य करावे व वादीगण की भूमि पर जबरन पक्का निर्माण नही करे तथा वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

23.06.2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–60 / 2017 (2017 / 00172) वाद पत्र

**अनवान**

1. मोहन पिता हीरा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देउ बेवा हीरा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. देवा पिता भज्जा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हरलाल पिता भज्जा गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**वादीगण**

**बनाम**

1. अमरा पिता माना गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जयराम पिता माना गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

## वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम माहसिंगपुरा की आराजी संख्या 382 रकबा 0.23 है0 भूमि के दक्षिण दिशा में अमरा पिता माना व जयराम पिता माना का जो कब्जा है जिससे प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे। इसी के साथ बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण, वादीगण की उक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य करावे व वादीगण की भूमि पर जबरन पक्का निर्माण नही करे तथा वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

डिक्री आज दिनांक 23.06.2022 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर सुनायी गयी।

23.06.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा